



**The Himachal Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means)
Act, 2025**

Act No. 45 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 नवम्बर, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-16/2025-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को दिनांक 26-11-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 45 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(डॉ० विवेक ज्योति),

संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

2025 का अधिनियम संख्यांक 45

हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

अनुचित साधन और अपराध

3. अनुचित साधन।
4. अनुचित साधन के लिए षड्यंत्र।
5. लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान।
6. अन्य अपराध।
7. परीक्षा केन्द्र से अन्यथा किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा।
8. सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध।

अध्याय-3

अपराधों के लिए दण्ड

9. संज्ञेय अपराध।
10. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दण्ड।

11. संगठित अपराध।

अध्याय—4
जांच और अन्वेषण

12. जांच करने के लिए सशक्त अधिकारी।

अध्याय—5
प्रकीर्ण

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।
14. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
15. इस अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।
16. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति।
17. नियम बनाने की शक्ति।
18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
अनुसूची;

2025 का अधिनियम संख्यांक 45

हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2025 को यथाअनुमोदित)

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभ्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अन्तर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) “संचार युक्ति” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज क) में इसके लिए समनुदेशित है।

- (ग) "सक्षम प्राधिकरण" से राज्य सरकार का ऐसा विभाग अभिप्रेत है जो लोक परीक्षा के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;
- (घ) "कम्प्यूटर नेटवर्क", "कम्प्यूटर संसाधन" और "कम्प्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः इनको समनुदेशित है;
- (ङ) "लोक परीक्षा का संचालन" के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन करने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;
- (च) "संस्थान" से लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी; या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है;

- (छ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचना" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (ज) "संगठित अपराध" से ऐसी विधि विरुद्ध गतिविधि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षड्यंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु साझे हित को बढ़ाने के लिए कारित की जाए;
- (झ) "सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक है;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "लोक परीक्षा" से लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है;
- (ठ) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ड) "लोक परीक्षा केन्द्र" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग, भी सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित है जिनका प्रयोग लोक परीक्षा के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सके;
- (ढ) "सेवा प्रदाता" से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी सामग्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु

इसके सहयुक्त, उप-ठेकेदार भी सम्मिलित हैं जो लोक परीक्षा के संचालन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं; और

(न) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय-2

अनुचित साधन और अपराध

3. अनुचित साधन.—लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराया जाने वाला कोई कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा—

- (i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;
- (ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना;
- (iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;
- (iv) किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना;
- (v) लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;
- (vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़-छाड़ करना जिसमें ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीटें भी हैं;
- (vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;
- (viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
- (ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़-छाड़ करना;
- (x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
- (xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़-छाड़ करना;
- (xii) परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आबंटन में हेर-फेर करना;
- (xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालने के सदोष परिरोध करना या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;
- (xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और
- (xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना।

4. अनुचित साधन के लिए षड्यंत्र.—कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड्यंत्र नहीं करेंगी।

5. लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान.—(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है या उसमें नहीं लगाया गया है और जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन में व्यवधान डालने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने में अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व—

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए प्रश्नपत्र से संबंधित या संदर्भ में हो।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, को अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करना कारित करेगा और न ही इसका पता लगने देगा।

6. अन्य अपराध.—यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है, तो सेवा प्रदाता तत्काल अपराध की रिपोर्ट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को करेगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा:

परंतु यह कि यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुकर बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा।

7. परीक्षा केन्द्र से अन्यथा किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा.—लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र से अन्यथा लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगा:

परंतु यह कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन किया जाता है।

8. सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध.—(1) किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यक्ति रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है,

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और किसी अन्वेषण के दौरान प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा:

परंतु यह कि इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अध्याय-3

अपराधों के लिए दंड

9. संज्ञेय अपराध.—इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होंगे।

10. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दण्ड.—(1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता फर्म के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

11. संगठित अपराध.—(1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(2) यदि संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और समपहरण के अध्यधीन होगी और इसके अतिरिक्त, परीक्षा की समानुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।

अध्याय-4

जांच और अन्वेषण

12. जांच करने के लिए सशक्त अधिकारी.—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण, कोई अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, करेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को किसी अन्वेषण अभिकरण अन्वेषण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.—लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

14. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.—इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगी:

परंतु यह कि किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसी लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्राशसनिक कार्रवाई के अधीन होंगे:

परंतु यह और कि, कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने से निवारित नहीं करेगी जहां प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान होता है।

15. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना.—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में:

परंतु, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

16. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति.—राज्य सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी या अनुसूची की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगी।

17. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्:—

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेसज, कार्यकलाप अधिकथित करना; और

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के सत्रावसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही, यथास्थिति प्रभावी होंगे

या निष्प्रभाव हो जाएंगे। तथापि नियम के ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समाचीन प्रतीत हो:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची
[धारा-2 (ठ) को देखें]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षा:—

1. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 45 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2025

ARRANGEMENTS OF SECTIONS

Sections :

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER-II
UNFAIR MEANS AND OFFENCES**

3. Unfair means.
4. Conspiracy for unfair means.
5. Disruption to conduct public examination.
6. Other offences.
7. No premises other than examination centre shall be used for public examination.

8. Offences in respect of service providers and other persons.

CHAPTER-III PUNISHMENT FOR OFFENCES

9. Cognizable offences.
10. Punishment for offences under this Act.
11. Organised crimes.

CHAPTER-IV INQUIRY AND INVESTIGATION

12. Officers empowered to investigate.

CHAPTER-V MISCELLANEOUS

13. Members, officers and employees of public examination authority to be public servants.
14. Protection of action taken in good faith by any public servant.
15. Provisions of this Act to be in addition to other laws.
16. Power to amend THE SCHEDULE.
17. Power to make rules.
18. Power to remove difficulties.

THE SCHEDULE

Act No. 45 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) Act, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH NOVEMBER, 2025)

AN

ACT

to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “candidate” means a person who has been granted permission by the public examination authority to appear in public examination and includes a person authorised to act as a scribe on his behalf in the public examination;
- (b) “communication device” shall have the same meaning assigned to it in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (c) “competent authority” means the Department of the State Government administratively concerned with the public examination;
- (d) “computer network”, “computer resource” and “computer system” shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (j), (k) and (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (e) “conduct of public examination” shall include all the procedures, processes and activities, as may be prescribed, for being adopted for conduct of the public examination;
- (f) “institution” means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, by whatever name it may be called, which is other than the public examination authority and the service provider engaged by such authority;

Explanation.—For the purposes of this clause, it is clarified that “company” includes a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or a limited liability partnership firm as defined in clause (n) of sub-section (1) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

- (g) “notification” means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh and the expression “notify” shall be construed accordingly;
- (h) “organised crime” means an unlawful activity committed by a person or a group of persons indulging in unfair means in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain in respect of a public examination;
- (i) “person associated with a service provider” means a person who performs services for or on behalf of such service provider irrespective of whether such person is an employee or an agent or a subsidiary of such service provider, as the case may be;
- (j) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (k) “public examination” means any examination conducted by the public examination authority;
- (l) “public examination authority” means an authority as specified in THE SCHEDULE;

- (m) “public examination centre” means such premises, which is selected by the service provider or otherwise selected by the public examination authority, to be used for conduct of public examination and which, amongst others, may include any school, computer centre, institution, any building or part thereof and the same shall include the entire periphery and land appurtenant thereto which may be used for security and other related reasons for conduct of the public examinations;
- (n) “service provider” means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, including its associates, sub-contractors and provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for conduct of public examination; and
- (o) “SCHEDULE” meaning THE SCHEDULE appended to this Act.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined under any other law for the time being in force, shall have the same meanings as assigned to them in those laws.

CHAPTER II

UNFAIR MEANS AND OFFENCES

3. Unfair means.—The unfair means relating to the conduct of a public examination shall include any act or omission done or caused to be done by any person or group of persons or institutions, and include but not be restricted to, any of the following acts for monetary or wrongful gain—

- (i) leakage of question paper or answer key or part thereof;
- (ii) participating in collusion with others to effect leakage of question paper or answer key;
- (iii) accessing or taking possession of question paper or an Optical Mark Recognition response sheet without authority;
- (iv) providing solution to one or more questions by any unauthorised person during a public examination;
- (v) directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorisedly in the public examination;
- (vi) tampering with answer sheets including Optical Mark Recognition response sheets;
- (vii) altering the assessment except to correct a bonafide error without any authority;
- (viii) willful violation of norms or standards set up by the State Government for conduct of a public examination on its own or through its agency;
- (ix) tampering with any document necessary for short-listing of candidates or finalising the merit or rank of a candidate in a public examination;
- (x) deliberate violation of security measures to facilitate unfair means in conduct of a public examination;
- (xi) tampering with the computer network or a computer resource or a computer system;
- (xii) manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations;
- (xiii) threatening the life, liberty or wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider or any authorised agency of the Government; or obstructing the conduct of a public examination;

- (xiv) creation of fake website to cheat or for monetary gain; and
- (xv) conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain.

4. Conspiracy for unfair means.—No person or group of persons or institutions shall collude or conspire to facilitate indulgence in any such unfair means.

5. Disruption to conduct public examination.—(1) No person, who is not entrusted or engaged with the work pertaining to the public examination or conduct of public examination or who is not a candidate, shall enter the premises of the examination centre, with intent to disrupt the conduct of the public examination.

(2) No person authorised, engaged or entrusted with the duties to conduct public examination shall, before the time fixed for opening and distribution of question papers—

- (a) open, leak or possess or access or solve or seek assistance to solve such question paper or any portion or a copy thereof in unauthorised manner for monetary or wrongful gain;
- (b) give any confidential information or promise to give such confidential information to any person, where such confidential information is related to or in reference to such question paper for monetary or wrongful gain.

(3) No person, who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is authorised in furtherance of his duties so to do, reveal or cause to be revealed or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge for any undue advantage or wrongful gain.

6. Other offences.—If any person or group of persons or institution commits any unfair means or offence under sections 3, 4 and section 5, the service provider shall forthwith report the offence to the concerned police authorities and also inform the public examination authority:

Provided that if the service provider resorts to unfair means and commits the offence or is involved in facilitating an offence, the public examination authority shall report the same to the concerned police authorities.

7. No premises other than examination centre shall be used for public examination.—It shall be an offence for the service provider or any person associated with the service provider to cause any premises, other than the examination centre, authorised by the public examination authority, to be alternatively used for the purpose of holding public examination, without the written approval of the public examination authority:

Provided that nothing contained in this section shall be an offence where any change in the examination centre without prior consent of the public examination authority is due to any force majeure.

8. Offences in respect of service provider and other persons.—(1) Any person, including the person associated with a service provider, shall be deemed to have committed an offence if he individually or in collusion with any other person or group of persons or institutions assists any person or group of persons or institutions in any manner unauthorisedly in the conduct of public examination.

(2) Service provider or any person associated with it shall be deemed to have committed an offence if he fails to report incidence of any unfair means or commission of any offence.

(3) Where an offence committed by a service provider is, *prima facie*, established during investigation to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer of such service provider, such person shall also be liable to be proceeded against:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

CHAPTER III

PUNISHMENT FOR OFFENCES

9. Cognizable offences.—All offences under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.

10. Punishment for offences under this Act.—(1) Any person or persons resorting to unfair means and offences under this Act, shall be punished with imprisonment for a term not less than three years but which may extend to five years and with fine up to ten lakh rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed, as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(2) The service provider shall also be liable to be punished with imposition of a fine up to one crore rupees and proportionate cost of examination shall also be recovered from such service provider and he shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period of four years.

(3) Where it is established during the investigation that offence under this Act has been committed with the consent or connivance of any Director, Senior Management or the persons in-charge of the service provider firm, he shall be liable for imprisonment for a term not less than three years but which may extend to ten years and with fine of one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

11. Organised crimes.—(1) If a person or a group of persons including the examination authority or service provider or any other institution commits an organised crime, he shall be punished with imprisonment for a term not less than five years but which may extend to ten years and with fine which shall not be less than one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(2) If an institution is involved in committing an organised crime, its property shall be subjected to attachment and forfeiture and proportionate cost of examination shall also be recovered from it.

CHAPTER IV

INQUIRY AND INVESTIGATION

12. Officers empowered to investigate.—(1) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police shall investigate any offence under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall have the powers to refer the investigation to any Investigating Agency.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

13. Members, officers and employees of public examination authority to be public servants.—The Chairperson, Members, officers and other employees of the public examination authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

14. Protection of action taken in good faith by any public servant.—No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act, shall lie against any public servant, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers:

Provided that the public servants in the service of any public examination authority shall be subject to administrative action in terms of service rules of such public examination authority:

Provided further that nothing shall prevent proceeding against such public servants where, *prima facie* case exists for establishing commission of an offence under this Act.

15. Provisions of this Act to be in addition to other laws.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force:

Provided that the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law in force.

16. Power to amend THE SCHEDULE.—The State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, amend or vary entries of THE SCHEDULE.

17. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) to lay down procedures, processes and activities for being adopted to conduct the public examination; and

(b) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be; without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

18. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for removal of difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

THE SCHEDULE
[See section 2 (1)]

ANY EXAMINATION CONDUCTED BY—

1. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.
2. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.